न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–19/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. चिरंजीलाल पुत्र ईशरदास जाति मेघवाल,
2. जौहरीलाल पुत्र पूरण लाल जाति ब्राह्मण,
3. प्रमोद शर्मा पुत्र मुंशीराम जाति ब्राह्मण,
4. चेतराम पुत्र सीताराम जाति मेघवाल,
5. सोहनलाल सैनी पुत्र हीरालाल सैनी निवासीयान ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 स्वयं व बहैसियत प्रतिनिधि ग्रामवासीयान ग्राम न्याणा तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।

.....अपीलांट्स

बनाम

1. इलियास पुत्र अजमत खां जाति मेव निवासी ग्राम न्याणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर हाल गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर राज0 ।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... रेस्पेडेन्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री जनार्दन शर्मा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री पलटू खां, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 501 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा साबिक ख0 नं0 433 मिन रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम न्याणा तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल गोविन्दगढ़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी जो पूर्व में कब्रिस्तान की आराजी थी तथा कब्रिस्तान के काम में आती है तथा आज भी मौके पर कब्रिस्तान है व कब्रिस्तान के उपयोग व उपभोग के काम में ली जा रही है । विवादित आराजी को चारागाह के रूप में आज तक ना तो कभी पहले था और ना अब काम में ले रहे

हैं बल्कि उक्त आराजी सदैव से कब्रिस्तान के काम में ली जा रही है । विवादित भूमि में करीब 1000 कब्र आज भी मौके पर बनी हुई हैं जो उक्त आराजी तरफ दक्षिण गैर मुमकिन कब्रिस्तान था लेकिन बन्दोबस्त विभाग ने उक्त आराजी को गलत व बेजा रूप में चारागाह दर्ज कर दिया था जबकि ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था बल्कि पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए थे । इसलिए वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिसमें से पेरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 08.09.2016 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 8.9.2016 के खिलाफ यह अपील पेश की गयी है जिसमें तहत न्यायालय ने हमें पक्षकार नहीं बनाया । इसलिए 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । विवादित आराजी रेकार्ड में चारागाह दर्ज है । चारागाह होने से हमारे हित प्रभावित होते हैं । तहत न्यायालय ने इसमें खातेदारी के अधिकार दिये हैं । वैसे तो यह माना जायेगा कि हमें 96 सी.पी.सी. की स्वीकृति मिल गयी क्योंकि नोटिस जारी हो गये तथा तहत न्यायालय की पत्रावली तलब हो गयी है फिर भी 96 सी.पी.सी. की स्वीकृति चाहते हैं ।

ख0 नं0 443 मिन नम्बर है । यह ख0 नं0 443 काफी बड़ा रकबा है । तहत न्यायालय ने यह जांच नहीं की कि ख0 नं0 443 कितना बड़ा है, केवल 443 व उसके हाल ख0 नं0 501 का सही मिलान भी नहीं किया है । तहत न्यायालय को यह देखना चाहिए कि ख0 नं0 443 का कुल कितना रकबा था और कितने नये नम्बर बने हैं । केवल दो जमाबन्दी सम्वत् 2017 व 2029 ही पेश हुई हैं । सम्वत् 2017 की जमाबन्दी में ख0 नं0 443 मिन दक्षिण रकबा 3.05 बीघा गै0मु0 कब्रिस्तान है । तहत न्यायालय ने 3.10 बीघा की डिक्री की है । रेकार्ड में 305 बीघा है । हमारा यह कहना है कि रकबा मिलान नहीं खा रहा है । अतः 343 का दूसरा रकबा 501 अलग हो सकता है । अतः तहत न्यायालय को चाहिए कि ख0 नं0 443 का पूरा रकबा व मिलान क्षेत्रफल पेश करते । विवादित आराजी हाल रेकार्ड में चारागाह दर्ज है । चारागाह पर खातेदारी नहीं दे सकते हैं । यदि किस्म भी परिवर्तन की है तो उतने ही रकबे की कर सकते हैं । ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाना चाहिए । यहां अपील में इसलिए नहीं आये कि गांव में पार्टीबाजी होती है । इस चारागाह में हमारें पशु चरते हैं । गलत आदेश को कोई भी चैलेन्ज कर सकते हैं । मेरी मौका रिपोर्ट तहत न्यायालय के निर्णय के बाद की है । इसलिए गलत रूप से डिक्री जारी की है जो निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में जाहिर किया कि इन्होंने दिनांक 6.3.2017 को अपील मियाद बाहर पेश की है । बहस में ये कहना है कि मौका रिपोर्ट गलत

है । मुझ रेस्पो0 इलियास को गलत अतिक्रमी बताया है। हम कब्रिस्तान के ख0 नं0 443 पर नहीं हैं, अलग रहते है । मौका रिपोर्ट में रास्ते पर अतिक्रमण बताया है । श्यामलाल व मनोहर 20 वर्ष पूर्व ही चले गये और वो यहां रहते नहीं है तो उनका कब्जा कैसे बताया है । चिरंजीलाल अपीलांट का इस आराजी से कोई संबंध नहीं है, यहां पुरानी कब्रे है एवं गजट नोटिफिकेशन में कब्रिस्तान दर्ज है । इसमें पक्षकार सरकार है । पैरोकार सरकार ने अपना पक्ष रखा है । तहत न्यायालय ने रेकार्ड अनुसार सही निर्णय किया है । बन्दोबस्त ने सम्वत् 2028 में जो चारागाह दर्ज किया है, उसका रेकार्ड भी पेश किया है । बहस जवाब में आगे कहा कि मौके पर कोई चारागाह नहीं है तथा कोई मवेशी वहां नहीं आते हैं । जहां तक रेकार्ड में चारागाह की बात है तो हम वादीगण का अधीनस्थ न्यायालय में यहीं कहना है कि यह चारागाह बन्दोबस्त ने गलत दर्ज कर दिया है । यह पहले रेकार्ड में कब्रिस्तान दर्ज है । ऐसी स्थिति में रेकार्ड में दुरूस्ती केवल सरकार से चाही है तो ग्राम पंचायत व अपीलांट को पक्षकार मुकदमा क्यों बनाया जावें ।

अपीलांट का उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है । मुस्लिम समाज की कब्रिस्तान की जमीन को ये लोग हड़पना चाहते हैं । अतः अपील अपीलांट आधारहीन है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होकर अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

जवाब उल जवाब में अपीलांट अभिभाषक का कहना है कि ये रिपोर्ट निर्णय के बाद की है जिसमें 3.10 बीघा पर कब्रिस्तान भी नहीं हो सकता है । रिपोर्ट के अनुसार 0.12 बीघा में कब्रिस्तान है । यदि कब्रिस्तान है तो वहां पी.एच.सी. व सड़क निर्माण क्यू कराया । पुरानी जमाबन्दी में 3.05 बीघा है जबकि तहत न्यायालय ने डिक्री 3.10 बीघा की दी है । ख0 नं0 343 साबिक का पूरा रेकार्ड पेश नहीं है तथा इसमें ख0 नं0 501 का भी पता नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

हमने विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया । साथ ही उभयपक्षों के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय के निर्णय व हाल व साबिक रेकार्ड के अवलोाकन से यह पाया जाता है कि वर्तमान में यह खसरा नम्बर हाल ख0 नं0 501 रकबा 3.10 बीघा चारागाह के रूप में रेकार्ड में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 से स्पष्ट है कि साबिक ख0 नं0 443 मिन रकबा 3.10 बीघा से बना है । बन्दोबस्त की जमाबन्दी सम्वत् 2028 में ख0 नं0 501 चारागाह दर्ज है, परन्तु बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत् 2017–20 में सरकारी खाते में दर्ज है तथा शमसान भूमिया, कब्रिस्तान के रेकार्ड के रूप में साबिक ख0 नं0 443 मिन रकबा 3.05 बीघा के रूप में दर्ज है तथा किस्म गै0मु0 कब्रिस्तान दर्ज रेकार्ड है ।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि बन्दोबस्त विभाग ने गै0मु0 कब्रिस्तान की किस्म बदलकर चारागाह की है जो कानून सम्मत नहीं है तथा तहत न्यायालय ने जो दुरूस्ती की है, वह कानून सम्मत है ।

जहां तक अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ अपील पेश करने का है । चारागाह जमीन गलत रूप से दर्ज रेकार्ड होने से अपीलांट का इसमें कोई हित

नहीं है और न ही ये हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण करने के उपरान्त अपील अपीलांट 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से तथा अपील गुणावगुण पर आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहत न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के निर्णय दिनांक 08.09.2016 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/3/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर